राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.5(3)/नविवि/3/99पार्ट   जयपुर, दिनांकः 18 JUL 2019

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2019–20 की घोषणा संख्या 221 से आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7 ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत–प्रतिशत छूट एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त(राजस्व) विभाग की आई.डी. संख्या–251900631 दिनांक 15.07.19 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।